हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 220 / 2019 अनवान भुराराम बनाम धर्माराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय सरणु पनजी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 04.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, सरणु पनजी पर पत्रावली पेश हो। ([illegible])री, उप[illegible]	
04.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय सरणु पनजी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षैत्र सरणु तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 262 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 263 रकबा 0.09 बिस्वा, खसरा नंबर 550 / 264 रकबा 33.07 बीधा कुल रकबा 33.18 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षैत्र सरणु तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 262 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 263 रकबा 0.09 बिस्वा, खसरा नंबर 550 / 264 रकबा 33.07 बीधा कुल रकबा 33.18 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। ([illegible])री, उप[illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सरणु पनजी

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 भूराराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर सरणु तहसील व जिला बाडमेर।		1 धर्माराम पुत्र रूपाराम 2 डालुराम पुत्र लाधाराम 3 जगमालराम पुत्र पदमाराम जातियान जाट 4 भूराराम पुत्र डूगराराम 5 सताराम पुत्र मोड़ाराम 6 खेताराम पुत्र तेजाराम जातियान मेगवाल निवासीयान इन्द्रा नगर सरणु तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

दिनांक–04.10.2021

राजस्व आवेदन संख्या–220 / 2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षैत्र सरणु तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 262 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 263 रकबा 0.09 बिस्वा, खसरा नंबर 550 / 264 रकबा 33.07 बीघा कुल रकबा 33.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2021 / 5029 – 5032 दिनांक– 06/10/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. **तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।**
2. **पटवारी सरणु तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।**
3. **प्रार्थी** भूराराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर सरणु तहसील व जिला बाडमेर।
4. **विप्रार्थीगण** धर्माराम पुत्र रूपाराम वगैराह जातियान जाट एवं मेगवाल निवासीयान इन्द्रा नगर सरणु तहसील एवं जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर